डॉ० शुचिता चतुर्वेदी
सदस्य

आज़ादी का अमृत महोत्सव

उत्तर प्रदेश
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
लखनऊ -226001

पत्रांक दिनांक 2/8/2023.......

रा0बा0आ0 / 769 / 40 / AIM TRUST / 2023–24

सेवा में,

निदेशक,
बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
विद्या भवन, निशातगंज,
लखनऊ।

विषयः उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी व स्ववित्त पोषित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में "बाल शिकायत / सुझाव पेटिका" लगवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम–2005 की धारा–17(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम–2005 की धारा–13 व 14 के अन्तर्गत आयोग को बालक के अधिकारों का उल्लंघन एवं उनकी संरक्षा के अतिक्रमण की जांच / निस्तारण कराये जाने का पूर्ण अधिकार है।

उपर्युक्त विषयक श्री रंजीत कुमार, कार्यक्रम प्रबंधक, एम ट्रस्ट, 61 वासुदेव नगर, कमता चिनहट, लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी व स्ववित्त पोषित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में "बाल शिकायत / सुझाव पेटिका" लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जिससे कोई भी बच्चा (बालक / बालिका) या अभिभावक अपनी शिकायत या बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दे सके।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार समस्त विद्यालयों में शिकायत / सुझाव पेटिका लगाये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करें। साथ ही मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी के समक्ष यह पेटिका खोले जाने हेतु क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने हेतु आदेशित करें।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीया

(डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी)
सदस्य

पत्रांक एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः श्री रंजीत कुमार, कार्यक्रम प्रबंधक, एम ट्रस्ट, 61 वासुदेव नगर, कमता चिनहट, लखनऊ 226029।

सदस्य

ई मेल

04
12/07/023

Aim Trust एम ट्रस्ट

61, वासुदेव नगर, कमता चिनहट, लखनऊ–226028, (उ0प्र0)
मो0 : +91 9415121462, 9415472462
ईमेल : aimlucknow@gmail.com
वेबसाइट : www.aimindiatrust.org

पत्रांक –AIM/SCPCR/1291/2023-24

सेवा में, दिनांकः 11.07.2023

डॉ0 सुचिता चतुर्वेदी
सदस्य, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उ.प्र.
लखनऊ।

विषय– प्रदेश के सभी सरकारी व स्ववित्त पोषित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में "बाल शिकायत/सुझाव पेटिका" लगवाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

सादर अवगत कराना है कि एम ट्रस्ट एक स्वयं सेवी संस्था है, जो क्राई नई दिल्ली (Child Right & You) के सहयोग से जनपद लखनऊ के 10 स्लमों में एवं लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लाक में 22 ग्राम पंचायतों के 30 गांवों और मितौली ब्लाक में 13 ग्राम पंचायतों के 17 गांवों में बच्चों की बाल केन्द्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व बाल सुरक्षा के मुद्दे पर कार्य कर रहा है।

संस्था द्वारा कार्यक्षेत्र के गांवों में बच्चों की सुरक्षा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जारी रखने के लिए बाल गतिविधि केन्द्र व बाल एवं किशोर–किशारी संसाधन केन्द्र संचालित किये जा रहे है। जिसके अर्न्तगत बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही साथ जीवन कौशल प्रशिक्षण व आत्मरक्षा प्रशिक्षण, लैंगिक समानता, किशोरियों को माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। जिससे उनका मानसिक बौद्धिक, शारीरिक, रचनात्मक एवं सामाजिक, भावनात्मक विकास हो सकें।

कार्यक्षेत्र में परियोजना क्रियान्वयन के दौरान यह पाया गया है, कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में कोई भी सुझाव/शिकायत पेटिका नही है। जिससें कोई भी बच्चा (बालक–बालिका) या अभिभावक अपनी शिकायत या बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत या सुझाव दे सकें और स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान किया जा सकें।

अतः आपसे निवेदन है कि सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में बाल शिकायत/सुझाव पेटिका लगवाने की कृपा करें, जिससे बच्चें अपनी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर सकें।

भवदीय

O.S
12/7/23

रंजीत कुमार
कार्यक्रम प्रबन्धक